भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3973

उत्तर देने की तारीख : 19.12.2024

एमएसएमई के माध्यम से छोटे व्यवसाय

3973. श्री राहुल कस्वां :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के सभी जिलों और गांवों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के माध्यम से छोटे व्यवसाय स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या ऐसे व्यवसायों की सहायता करने के लिए बैंक नेटवर्क स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) इन बैंकों से उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की संभावित सीमा सहित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन छोटे व्यवसायों से कितने प्रतिशत बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राजस्थान सहित राज्यवार ऐसे प्रस्ताव के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय किसी भी राज्य में एमएसएमई की स्थापना नहीं करता है। एमएसएमई क्षेत्र में निजी उद्यमी शामिल होते हैं और इस क्षेत्र में निवेश उद्यमियों द्वारा स्वयं किया जाता है। केंद्र सरकार, राजस्थान राज्य सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन, इनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ-राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।

ii. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

iii. दिनांक 1.7.2020 से व्यवसाय में सुगमता हेतु एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण"। दिनांक 01.07.2020 को एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को अपनाने के बाद से, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर कुल 5.65 करोड़ उद्यम पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 23.88 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है।

iv. दिनांक 2.7.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।

v. एमएसएमई की स्थिति में विकासात्मक परिवर्तन के मामले में गैर-कर लाभ 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए हैं।

vi. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.1.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है।

vii. आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से इक्विटी समावेशन।

viii. जैसा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना में वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि डाली गई ताकि अगले 4 वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए की गारंटी कवरेज की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। यह लक्ष्य पूरे देश में ढ़ाई वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 – वित्त वर्ष 2024-25) में हासिल किया गया है।

आरबीआई के अनुसार, एमएसएमई को बकाया ऋण मार्च, 2019 में 15.10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2024 में 27.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है।

*****